

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या.13781/2024

मीणावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, पता - 18, सुभाष कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर, अध्यक्ष के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. रेखा पिंगोलिया पत्नी श्री अर्जुन लाल पिंगोलिया, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी 39-ए, स्कीम नंबर 11 विस्तार, मीणावाला, सिरसी रोड, जयपुर।
2. एकमात्र मध्यस्थ और ऑडिटर, कार्यालय: उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, जयपुर।
3. प्रेम नारायण पुरोहित पुत्र श्री पुरषोत्तम नारायण पुरोहित, निवासी 3677, पुरोहित भवन, पुलिस स्टेशन निमड़ी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री गोविन्द प्रसाद कौशिक, अधिवक्ता

**माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

09/10/2024

1. यह याचिका राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षिप्त रूप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिनांक 06.06.2024 को पारित आदेश से आहत होकर दाखिल की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-सोसाइटी (संक्षेप में 'सोसाइटी') ने प्रतिवादी संख्या 3-प्रेम नारायण पुरोहित को भूखंड आवंटित किया और आवंटन के बाद, अनुसूचित मानचित्र को संशोधित किया गया। विचाराधीन भूमि प्रेम नारायण पुरोहित ने प्रतिवादी संख्या 1 को पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 10.01.2008 द्वारा बेची थी। प्रेम नारायण पुरोहित को किया गया आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि संशोधित योजना के अनुसार प्रेम नारायण पुरोहित को आवंटित भूमि सुविधा क्षेत्र में आती है और जमा की गई राशि चेक द्वारा वापस कर दी गई थी। विवाद को मध्यस्थ के पास भेज दिया गया और रद्दीकरण को बरकरार रखते हुए दिनांक 04.10.2021 का मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया। मध्यस्थता निर्णय से व्यथित होकर,

प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और मामला वापस मध्यस्थ के पास भेज दिया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उचित सूचना के बाद वाद रद्द किया गया और मूल राशि वापस कर दी गई। तर्क यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 एक अनुवर्ती क्रेता है और मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार नहीं था।

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया तर्क उचित नहीं है।

5. अपीलीय प्राधिकारी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि संशोधित अनुसूची मानचित्र के परिणामस्वरूप प्रेम नारायण पुरोहित को आवंटित भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में चिह्नित की गई थी। समाचार पत्र में प्रकाशित एक सूचना के अलावा, अनुसूची मानचित्र के संशोधन को दर्शाने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पंचाट से यह स्पष्ट नहीं होता कि सुविधा क्षेत्र के लिए कितनी भूमि रखी गई है और इस विशेष भूमि को सुविधा क्षेत्र में क्यों शामिल किया गया है। क्या अपीलकर्ता को आवंटन हेतु सोसायटी के पास कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है।

6. अपीलीय प्राधिकारी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ द्वारा विभिन्न आवश्यक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजना उचित ही समझा। रिट क्षेत्राधिकार में इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि तो दूर, विकृतता भी नहीं है।

7. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/87

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

[2024:आरजे-जेपी:42579]

[सीडब्ल्यू-13781/2024]



Tarun Mehra
Advocate